संख्या:102/3002जेएल/22-3-14-100(115)/2012

प्रेषक,

अखिलेश त्रिवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 19 दिसम्बर, 2014***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी बुद्धिपाल वर्मा पुत्र श्री माधवराम वर्मा को जिला कारागार-बलरामपुर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-34363/सामा-1(3)/19टीसी/फतेहगढ़ मं0/2009, दिनांक 18-11-2014 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, बलरामपुर द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अधीन, उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी बुद्धिपाल वर्मा पुत्र श्री माधवराम वर्मा को जिला कारागार-बलरामपुर स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त बंदी के विरूद्ध जनपद-बलरामपुर में विचाराधीन मुकदमा संख्या-204/2011, धारा-406 आई.पी.सी. का निस्तारण होने के उपरान्त उसे केन्द्रीय कारागार स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।**

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अखिलेश त्रिवेदी)
उप सचिव।

संख्या:102/3002जेएल(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद/बलरामपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद/बलरामपुर।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़/जिला कारागार, बलरामपुर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अखिलेश त्रिवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in